Speed post

The Principal
Govt. P.G. College
Gopeshwar, Chamoli – 246 401
Uttrakhand

September, 2014

8 OCT 2014

Sub: - Recognition of Government Post-Graduate College, Gopeshwar, District Chamoli, Uttrakhand under Section 2 (f) &12 (B) of the UGC Act, 1956

Sir,

With reference to the letter no.983/UGC/2014-15 dated 11.04.2014 on the above subject, I am directed to say that the name of **Government Post-Graduate College, Gopeshwar, District Chamoli, Uttrakhand** established in the year of 1966 affiliated to **Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar** is included in the list of Colleges maintained under Section 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956 under the head **Government College teaching upto Master's Degree.**

Yours faithfully,

(Charan Dass)
Under Secretary

Principal
Govt. P. G. College
Gopeshwar (Chamoli)

Smt. Meena
पत्रावली में सुरक्षित रखें

संलग्नक-03

24

प्र0सं0 संख्या- 02 /XXIV(7)/2017

प्रेषक,

डॉ0 रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग-7 देहरादून : दिनांक 10 अगस्त, 2017

विषय-हे0न0ब0 गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, श्रीनगर से सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों की श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी गढ़वाल से सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 द्वारा हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया एवं इसका क्षेत्राधिकार उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली, देहरादून, गढ़वाल, हरिद्वार, रूद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी (गढ़वाल मण्डल के सभी जनपद) तक चला गया, जो कि पूर्व के राज्य विश्वविद्यालय के रूप में इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में थे।

2- हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय के केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के समय उत्तराखण्ड राज्य के गढ़वाल मण्डल के पूर्वोक्त वर्णित सभी जनपदों में संचालित/स्थापित महाविद्यालयों/संस्थानों की सम्बद्धता के लिये कोई राज्य विश्वविद्यालय तत्समय उपलब्ध न होने एवं कालान्तर में वर्ष 2011 में राज्य में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना होने तथा इस विश्वविद्यालय के गठन सम्बन्धी अधिनियम, 2011 की धारा 7(च) के प्राविधानो अनुरूप पूर्वोक्त वर्णित जनपदों के महाविद्यालयों/संस्थाओं की सम्बद्धता प्रदान करने का प्राधिकार श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को प्राप्त होने की व्यवस्था है।

3- हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) के विद्वत परिषद द्वारा इस विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 4(f) के अधीन सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों/संस्थाओं की सम्बद्धता समाप्त कर स्थानान्तरित करने पर अनापत्ति दी गई है।

4- अतः केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में वर्णित उपरोक्त प्राविधानों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में हे0न0ब0 गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, श्रीनगर से सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों को उक्त विश्वविद्यालय की सम्बद्धता छोड़कर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से नियमानुसार सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

10/8/2017

(डॉ0 रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

क्रमशः 2/-

संलग्नक - 04

यू0ओ0 संख्या– 02 /XXIV(7)/2017

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

उच्च शिक्षा अनुभाग–7

देहरादून : दिनांक 10 अगस्त, 2017

विषय–हे0न0ब0 गढवाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, श्रीनगर से सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों की श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी गढवाल से सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 द्वारा हे0न0ब0 गढवाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया एवं इसका क्षेत्राधिकार उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली, देहरादून, गढवाल, हरिद्वार, रूद्रप्रयाग, टिहरी गढवाल एवं उत्तरकाशी (गढवाल मण्डल के सभी जनपद) तक चला गया, जो कि पूर्व के राज्य विश्वविद्यालय के रूप में इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में थे।

2– हे0न0ब0 गढवाल विश्वविद्यालय के केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के समय उत्तराखण्ड राज्य के गढवाल मण्डल के पूर्वोक्त वर्णित सभी जनपदों में संचालित/स्थापित महाविद्यालयों/संस्थानों की सम्बद्धता के लिये कोई राज्य विश्वविद्यालय तत्समय उपलब्ध न होने एवं कालान्तर में वर्ष 2011 में राज्य में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना होने तथा इस विश्वविद्यालय के गठन सम्बन्धी अधिनियम, 2011 की धारा 7(द) के प्राविधानों अनुरूप पूर्वोक्त वर्णित जनपदों के महाविद्यालयों/संस्थाओं की सम्बद्धता प्रदान करने का प्राधिकार श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को प्राप्त होने की व्यवस्था है।

3– हे0न0ब0 गढवाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) के विद्वत परिषद द्वारा इस विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 4(f) के अधीन सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों/संस्थाओं की सम्बद्धता समाप्त कर स्थानान्तरित करने पर अनापत्ति दी गई है।

4– अतः केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में वर्णित उपरोक्त प्राविधानों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में हे0न0ब0 गढवाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, श्रीनगर से सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालयों को उक्त विश्वविद्यालय की सम्बद्धता छोड़कर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से नियमानुसार सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

10/8/2017

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

क्रमशः..........2/-

संख्या– 754 /XXIV(6)/2016-1(14)/2014 T.C.

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

शिक्षा (उच्च शिक्षा) अनुभाग–6 देहरादून, दिनांक 01 अगस्त, 2016

विषयः–मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के परिसर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–SDSUV/C.O./2015(29) दिनांक 11-07-2015 एवं संख्या–768/एसडीएसयूीव/प्रशासन दिनांक 06.07.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर, जनपद चमोली में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय का परिसर खोले जाने हेतु एतदद्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 754 (1)/XXIV(6)/2016-1(14)/2014 T.C., तददिनांक।

प्रतिलिपि प्राचार्य, राजकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर, जनपद चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव

संख्याः– 01/XXIV(6)/2017–1(14)14

प्रषक,

डॉ. रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

शिक्षा (उच्च शिक्षा) अनुभाग–6 देहरादून, दिनांक 07 सितम्बर, 2017

विषयः– श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के परिसर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–301/कैम्पस/2016–17, दिनांक 30.11.2016 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–754/XXIV(6)/2016–1(14)/2014 टी0सी0, दिनांक 01.08.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय की तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर को श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय का परिसर बनाये जाने हेतु महाविद्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण विश्वविद्यालय को तत्काल प्रभाव से प्रदान किया जाता है।

2. उक्त महाविद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिक विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर माने जायेंगे तथा कालान्तर में इनसे तथा विभाग में कार्यरत अन्य शिक्षकों/कार्मिकों से विकल्प प्राप्त करके सृजित पदों के सापेक्ष समायोजन नियमानुसार किया जाएगा। तत्क्रम में तत्काल अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

7.9.2017

(डॉ. रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः– /XXIV(6)/2017–1(14)14, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
(2) जिलाधिकारी, चमोली गढ़वाल।
(3) निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि वे उपरोक्त के क्रम में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर का हस्तान्तरण श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय को करते हुये आवश्यक आख्या/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायें।
(4) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर (चमोली) को श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल परिसर के रूप में स्थापित करने हेतु

हस्तान्तरण प्रमाण–पत्र

दिनांक 12/02/2018

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर (चमोली) को श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड
विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल के परिसर के रूप में स्थापित किये जाने हेतु सम्पूर्ण
परिसम्पत्तियां यथास्थिति के हस्तान्तरण के लिए शासनादेश सं0 01/XXIV(6)/2017–1 (14) 14
दिनांक 07 सितम्बर 2017 के क्रम में कुलसचिव, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी
गढ़वाल के पत्रांक सं0 2700/SDSUV/प्रशासन/2017 दिनांक 07/12/2017 द्वारा गठित समिति एवं
प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर द्वारा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तराखण्ड हल्द्वानी
(नैनीताल) को सम्बोधित पत्रांक सं0 1580/श्रीदेव सुमन वि0वि0परि0/2017–18 दिनांक 11/01/2018 के
सन्दर्भ में निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक सं0 डिग्री सेवा–I/श्रीदेव
सु0वि0वि0परि0/13509/2017–18 दिनांक 15 जनवरी 2018 के अनुपालन में आज दिनांक 12/02/2018
को माननीय कुलपति द्वारा गठित समिति के निम्नांकित अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, गोपेश्वर (चमोली) से पूर्व में निदेशालय/शासन को प्रेषित संलग्न सूची पूर्ण परिसम्पत्तियों का
यथास्थिति हस्तान्तरण किया एवं श्री दिनेश चन्द्र, कुलसचिव, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल टिहरी गढ़वाल द्वारा परिसम्पत्तियों का प्रभार यथास्थिति ग्रहण किया गया।

उपरोक्त वर्णित पूर्व प्रेषित सूची के क्रम सं0 01 से 47 तक राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, गोपेश्वर की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियां हस्तान्तरित (सूची संलग्न)।

1– चार्ज हस्तान्तरित किया

प्रो0 के0एल0 मालगुड़ी
प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गोपेश्वर (चमोली)

प्रो0 जी0एस0 रजवार
प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय,
नरेन्द्र नगर (टिहरी गढ़वाल)/
निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल) के प्रतिनिधि

2– चार्ज प्राप्त किया

श्री दिनेश चन्द्र
कुलसचिव, श्रीदेव सुमन
उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल

हस्ताक्षर माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति :–

1. श्री दिनेश चन्द्र	–	कुलसचिव	–	अध्यक्ष
2. डा0 हेमन्त विष्ट	–	सहायक परीक्षा नियंत्रक (व्यावसायिक)	–	सदस्य
3. श्री विमल मिश्र	–	सहायक कुलसचिव (वित्त)	–	सदस्य
4. डा0 जी0एस0 रजवार	–	उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि		

संख्या:– ——/XXIV-C-1/2021–01(14)/2014

प्रेषक,

एम0एम0 सेमवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली गढवाल।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1

देहरादून दिनांक 18 मार्च,2021

विषय– राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर की भूमि एवं भवन को श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के नाम हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 754/XXIV(6)/2016–1(14)2014 टी0सी0 दिनांक 01 अगस्त, 2016 के द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर को श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय का नया परिसर बनाये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा शासनादेश संख्या 01/XXIV(6)/2017–1(14)2014 दिनांक 07 सितम्बर, 2017 के द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण विश्वविद्यालय को तत्काल प्रभाव से प्रदान किया गया था, लेकिन अभी तक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर की भूमि एवं भवन इत्यादि को श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के नाम हस्तान्तरित/हस्तगत नहीं किया गया है।

2– उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर की भूमि एव भवन इत्यादि को तत्काल श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के नाम हस्तान्तरित/हस्तगत करने का कष्ट करें।

संलग्नक:–यथोपरि।

भवदीय,

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या–270 (1)/ XXIV-C-1/2021–01(14)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) को मा0 मंत्री के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।
3. प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर, चमोली।

आज्ञा से,

(ब्यौमकेश दूबे)
अनु सचिव।

Email

आदेश

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा(उच्च शिक्षा) अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश सं0–754 / XXIV(6)2016-1(14)/2014T.C. दिनांक 01 अगस्त 2016 एवं शासनादेश सं0–01 / XXIV(6) 2017-1(14)/2014 दिनांक 07 सितम्बर 2017 के कम में अपर सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश सं0–240 / XXIV-C-1/2021-01(14)/2014 दिनांक 18 मार्च 2021 के द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर की भूमि एवं भवन इत्यादि को श्री देव सुमन, उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के नाम हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः अपर सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–240 / XXIV-C-1/2021-01(14)/2014 दिनांक 18 मार्च 2021 के अनुसार उप जिलाधिकारी चमोली की जांच आख्या दिनांक 29 अक्टूबर 2021 के आधार पर जनपद चमोली के तहसील चमोली अन्तर्गत ग्राम गोपेश्वर राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र पपड़ियाणा की जेड0ए0 की श्रेणी –1(क) खतौनी खाता सं0–03 मध्ये 0.056 है0, खाता सं0–14 मध्ये 0.096 है0, खाता सं0–27 मध्ये 0.203 है0, खाता सं0–28 मध्ये 0.067 है0, खाता सं0–30 मध्ये 0.104 है0, खाता सं0–34 मध्ये 0.018 है0, खाता सं0–36, मध्ये 0.111 है0, खाता सं0–41 मध्ये 0.018 है0, खाता सं0–47 मध्ये 0.060 है0, खाता सं0–80 मध्ये 0.186 है0, खाता सं0–91 मध्ये 0.077 है0 अर्थात कुल 0.996 है0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर के नाम दर्ज भूमि एवं भवन इत्यादि को श्री देव सुमन, उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के नाम हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(हिमांशु खुराना),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 776 / छब्बीस–26 (2020–2021) गोपेश्वरः दिनांकः 02 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा(उच्च शिक्षा) अनुभाग–6 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. कुलसचिव, श्री देव सुमन, उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।
7. प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर।
8. उप जिलाधिकारी, चमोली।

जिलाधिकारी,
चमोली।